



कार्यालय उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, बलरामपुर
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)



संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन, प्रथम तल, बलरामपुर, पिन कोड - 497119
दूरभाष नम्बर 07831-273051 फैक्स 07831-273052 ई. मेल ddvsbala.cg@nic.in

क्रमांक 750/स्थापना/DMF/संविदा नियुक्ति/2020-21

बलरामपुर, दिनांक 15/04/2021

**—:: सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की संविदा (अस्थाई)
नियुक्ति के संबंध में सूचना पत्र ::—**

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) अंतर्गत विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढीकरण/विभागीय/केन्द्रीय योजनाओं के शतप्रतिशत क्रियान्वयन करने हेतु रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में स्थानीय व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के डी.एम.एफ. मद के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु आरक्षण अनुसार दिनांक 15.12.2020 को विज्ञापन जारी किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, विलासपुर के याचिका क्रमांक 599/2005 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2005 के अनुसार एवं छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 14.07.2017 के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए पूर्व में जारी आरक्षण रोस्टर को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। चयन प्रक्रिया पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर एवं वरियता सूची के आधार पर किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर आपत्ति का निराकरण कर सकते हैं।

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	अ0-अ0-अ0					अ0-अ0					अ0-अ0					अनारक्षित					
			अ.ज. जा.	मु. त	महि. ला	शु. पु. ली	दिव्य म	अ. ज.	मु. त	महि. ला	शु. पु. ली	दिव्य म	अ. ज.	मु. त	महि. ला	शु. पु. ली	दिव्य म	अ. ज.	मु. त	महि. ला	शु. पु. ली	दिव्य म	कुल योग
1	स.प.चि. क्षेत्र अधिकारी	25	16	11	4	1	0	1	1	0	0	0	3	3	0	0	0	5	4	1	0	0	25

अध्यक्ष
चयन समिति, बलरामपुर
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर



क. एफ 13-2/2014/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 14 / 07 / 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़.

विषय :- सीधी भर्ती के पदों में महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की गणना पूर्णांकों के आधार पर किया जाना।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क. सी/3-2/97/3/एक, दिनांक 10.02.1997.

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, समस्त पदों के 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखने के संबंध में का अवलोकन करें।


2/ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में यह प्रावधान है कि लोक सेवाओं में और सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा ऐसा आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजोन्टल और कम्पार्टमेंटवाईज) होगा। नियमों में उक्त प्रावधान के संबंध में इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। समस्तर और प्रभागवार (होरिजोन्टल और कम्पार्टमेंटवाईज) आरक्षण से यह अभिप्रेत है कि महिलाओं के लिए आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्ग में रहेगा।

3/ माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा याचिका क. 599/2005 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2005 में, महिला आरक्षण नियम में उर्ध्व (वर्टिकल) एवं क्षैतिज (होरिजोन्टल) आरक्षण का प्रावधान होने के कारण, Rules of Rounding लागू नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं एवं 0.6 पद को 01 पद मानना नियम विरुद्ध बताया है।

कमश:.....2

4/ अतः माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण नियमों का पालन करने हेतु किसी भी संवर्ग में पदों की सीधी भर्ती के समय प्रत्येक प्रवर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की गणना की जाएगी। पदों की गणना केवल पूर्णाकों के अनुसार ही की जाएगी। अर्थात् पदों की संख्या की गणना में दशमलव के अंक को मान्य नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए रिक्त पदों की कुल संख्या 13 होने पर 30% आरक्षण के अनुसार 3.9 होती है, इसमें पूर्णांक के अनुसार केवल 3 पद बनेंगे। इसी प्रकार यदि रिक्त पदों की संख्या 3 पद हो तो 30% आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या 0.9 होती है, इसमें पूर्णांक न होने से कोई पद नहीं बनेगा।

5/ कृपया उपरोक्तानुसार पदों की गणना सुनिश्चित की जाए।


(विकास शील)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.एफ 13-2/2014/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 14 / 07 / 2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर।
2. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजमवन, रायपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाइंट, रायपुर।
6. मान. मंत्रीगण/मान. संसदीय सचिव गण के विशेष सहायक/निज सचिव, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, नया रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
12. आयुक्त जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर।

कमश:.....3

15. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग / अनुसूचित जनजाति आयोग / अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
16. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छ.ग.।
17. अध्यक्ष, जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग.
18. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु।



सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग